



भारत सरकार/Govt. Of India

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग/Ministry of Finance, Deptt. of Revenue

कार्यालय प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क
Office of The Pr. Commissioner, CGST & Central Excise

मुख्यालय: नव केन्द्रीय राजस्व भवन, जयपुर, राज. -302005

HQ:NCRB, Statue Circle, C-Scheme, Jaipur-302005 (Raj.)

फोन न. 0141-2385104

ई-मेल : commr-cexjpr@nic.in

कार्यालय आदेश संख्या :- 01/2025

दिनांक : 08.01.2025

इस आदेश के अन्तर्गत के अधीनस्थ संभाग - वैशाली नगर, जयपुर के लंबित न्याय-निर्णय मामलों (सूची संलग्न) के निस्तारण हेतु निम्न तालिका में दर्शाये अधिकारियों को उनके नियमित कार्यभार के अतिरिक्त संदर्भित न्याय-निर्णय मामलों के समयबद्ध निस्तारण के आदेश जारी किये जाते हैं :-

Name of the officer & Designation	Attached officer's Name & Designation
Sh. Rati Ram Meena, Assistant Commissioner (Case No. 1 to 10 in attached list)	Sh. Rakesh Kumar Deriwal, Superintendent
	Ms. Priya Gupta, Superintendent
Sh. Gokul Chand Meena, Assistant Commissioner (Case No. 11 to 20 in attached list)	Sh. Mahesh Gupta, Superintendent
	Sh. Dheeraj Shukla, Superintendent
	Sh. Nitin Kharbanda, Inspector

उक्त आदेश प्रधान आयुक्त महोदय की संस्वीकृति से जारी किया जा रहा है।

Signed by

Rishi Yadav

अपर आयुक्त (कार्यालय)
Date: 09-01-2025 16:39:13

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अपर आयुक्त (मु. आ. का.), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क, जयपुर जोन, जयपुर।
2. अपर आयुक्त (कर अपवंचना/TRC/DGARM/ संभाग - वैशाली नगर), सी.जी.एस.टी. जयपुर।
3. विभागीय वेबसाइट <https://cgstjaipur.gov.in/> पर अपलोड हेतु।
4. व्यक्तिगत प्रति / गार्ड फ़ाइल /नोटिस बोर्ड / सेवा पुस्तिका।